सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 101/2018 अपील (RCMS/2018/00112)
पंजीयन दिनांक — 30.07.2018
निर्णय दिनांक — 30.10.2018

1. श्री सुरेन्द्र सिंह चुण्डावत पिता श्री सोहन सिंह चुण्डावत, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत केलझर जरिये सरपंच श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नि श्री कालुसिंह, निवासी केलझर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

— रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री राकेशपुरी गोस्वामी — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 248—ए/2018 दिनांक 18.06.2018

निर्णय

दिनांक 30.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 248—ए/2018 दिनांक 18.06.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष रेस्पोडेंट संख्या—1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 भू—राजस्व अधिनियम के इस आशय से पेश किया कि ग्राम मेवासा पटवार हल्का केलझर की साबिक आराजी न. 1 जो कि खातेदार किशनलाल पिता भगवानलाल, शंकरलाल पिता मगनदास सिंधी साकिन चित्तौड़गढ़, कन्हैयालाल पिता गुनमल, किशनदास पिता हरदा सिंधी के नाम दर्ज रही है। ग्राम मेवासा पूर्व में

गंगरार तहसील में था। साबिक आराजी न. 1 में से 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि सीलिंग में जाने में बिलानाम आबादी दर्ज हुई तथा नामान्तकरण संख्या 5 के द्वारा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हुई। साबिक आराजी नम्बर 1 के कई नंबर कायम हुए जिसमें से नवीन नम्बर 2 मी. रकबा 0.804 हैक्टेयर एवं आराजी न. 22 एवं 2 मी. भी थे जो बिलानाम दर्ज होने थे परन्तु यह खातेदारों के नाम दर्ज रह गये और उनके द्वारा अपीलान्ट को विक्रय कर दी गई। इस हेतु रेस्पोडेंट संख्या–1 ने इन्द्रात दुरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मेवासा पटवार हल्का केलझर की आराजी नम्बर 22 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म नाला एवं आराजी नम्बर 2 मी. रकबा 0.804 हैक्टेयर को बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेष बाबत अनुरोध किया। राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट घोसूण्डी में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार निर्णय दिनांक 18.06.2018 से उक्त आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम आबादी दर्ज करने के आदेश दिया। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया गया है वस्तुतः अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित नामान्तरण संख्या 75 को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने वैध मानकर पूर्व में उसके विरूद्ध की गई अपील को खारिज किया जो निर्णय आज दिनांक तक प्रभावी है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूचना किसी तामिल के 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार ही बिना अपीलान्ट को सुनवाई किये राजस्व लोक अदालत कैंप में समाप्त कर दिये गये जिसका 136 एलआर एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत केवलमात्र किसी त्रुटि अथवा अंकन में प्रथम दृष्टया कोई भूल अथवा गलती होने पर ही उसे सुधारा जा सकता है, किसी खातेदार की खातेदारी को किसी प्रकार से धारा 136 की कार्यवाही में प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ऐसें में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी क्षैत्राधिकार के प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के बाद भी विधि एवं तथ्य की भारी भूल कारित की है। प्रकरण में अपीलान्ट को किसी प्रकार से सुना नही गया ऐसे में पारित आदेश काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये बिना मौका देखे एवं बिना मौका पर्चा निर्मित किये अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर मनमर्जी से निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान में धारा 20 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की मूल भावना व स्कोप से बाहर जाकर गुणावगुण

पर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.06.2018 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट–1 ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त साबिक आराजी न. 1 में से 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि सीलिंग में जाने में बिलानाम आबादी दर्ज हुई तथा नामान्तकरण संख्या 5 के द्वारा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हुई। साबिक आराजी नम्बर 1 के कई नंबर कायम हुए जिसमें से नवीन नम्बर 2 मी. रकबा 0.804 हैक्टेयर एवं आराजी न. 22 एवं 2 मी. बने जिसे बिलानाम आबादी एवं नाला की आराजीयात होने से आबादी बिलानाम में दर्ज किया जाना चाहिए थी परन्तु बिलानाम दर्ज नहीं किया जाकर खातेदार के नाम ही दर्ज रखा जबकि नामान्तकरण संख्या 5 से उक्त आराजी बिलानाम सरकार करने को स्वीकृत हुई थी। नवीन आराजी नम्बर 22 व 2 मी. खातेदारान के नाम ही दर्ज रह जाने से तत्कालीन खातेदारान ने उक्त आराजीयात को फर्दन–फर्दन बिना कब्जे के आगे से आगे आराजीयात नुमाइशी विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय होती रही और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक अपीलान्ट के नाम दर्ज थी जबकि मौके पर आराजी नम्बर 2 मी. पर 13–14 परिवार आबादी 0.52 हैक्टेयर पर बसी हुयी है एवं शेष पड़त है। मौके पर अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा और ना ही पूर्व खातेदारान का कब्जा रहा। आराजी नम्बर 2 मी. रकबा 0.804 हैक्टेयर एवं आराजी न. 22 एवं 2 मी. बने जिसे बिलानाम आबादी एवं नाला की आराजीयात होने से आबादी बिलानाम में दर्ज किया जाना चाहिए थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही एवं त्रुटिवश खातेदारों के नाम दर्ज रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–प्रबन्ध की कार्यवाही बाद गैर काबिल काश्त में दर्ज भूमि का अंकन अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को खाते में रद्दोबदल करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में बाद सूचना के अपीलान्ट अनुपस्थित रहा जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों पर विचार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 18.06.2018 से स्वीकार किया गया जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.06.2018 को यथावत रखे जाने बाबत अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार आराजी नम्बर 02 मी. रकबा 0.804 एवं आराजी नम्बर 22 एवं 2 मी. से सम्बन्धित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 75 से अपीलान्ट श्री सुरेन्द्रसिंह के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2011 से स्वीकृत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 एलआर

एक्ट दिनांक 14.12.2017 को पेश किया जिसे दिनांक 19.04.2018 को अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किये जाने से ड्रोप किया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा उक्त आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06. 2018 को पेश किया गया। जिसे दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट घोसुण्डी में दिनांक 18.06.2018 नियत कर एकतरफा बहस सुन कर स्वीकार किया गया। विद्वान अपील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई, बगैर नोटिस और किसी तामिल के निर्णय पारित किया गया। इस सम्बन्ध में फर्द अहकाम पर तामिल के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गई। विद्वान अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट कर कथन किया कि किसी खातेदार की खातेदारी को किसी प्रकार से धारा 136 की कार्यवाही में प्रभावित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पर निर्णय एकतरफा बहस सुनकर गुणावगुण एवं लोक अदालत अभियान में धारा 20 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की मूल भावना व स्कोप से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों और कानूनी बिन्दुओं पर विचार एवं विश्लेषण नहीं कर, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर पारित किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2018 पूर्णतया विधि स्वरूप न होकर अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को नहीं सुना गया।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय का दिनांक 18.06.2018 **Bad in law** होकर अपास्त किया जाता है एवं उपरोक्त वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम स्वीकृत नामान्तकरण को यथावत रखा जाता है।

तहसीलदार प्रकरण में पुनः कार्यवाही एवं प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाने हेतु पूर्णतया स्वतंत्र है। उपखण्ड अधिकारी सभी पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर